जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर
(वाणिज्य विभाग)

क्र./जो.वि.वि.नि.लि./अ.अ. (वाणिज्य) /सी–1/पत्रा प्रे.सं.2308 जोधपुर दिनॉक 15.03.2002

विषय :– एक ही कृषि विद्युत कनेक्शन से दो कुओं पर पम्प चलाने बाबत् ।

जोधपुर क्षेत्र में जिन उपभोक्ताओं के एक ही कृषि विद्युत कनेक्शन में विद्युत भार की वृद्वि तत्कालीन रा.रा.वि.म. द्वारा दूसरे कुएँ के लिये स्वीकृत की गई तथा ऐसे सभी मार्च 93 तक के मामलों को नियमित करने के लिये आदेश सख्या 1851 दिनांक 17.10.1997, 2214 दिनांक 27.11.1997 एवं आर.ई.ए. 123 दिनांक 26.06.1998 के अर्न्तगत उपभोक्ताओ को दोनो कुओं के लिये अलग–अलग कनेक्शन कराना था। उपर्युक्त आदेश के तहत जो भी उपभोक्ता सामान्य श्रेणी की फ्लेट रेट से 17/– रुपये प्रति हॉर्स पॉवर प्रतिमाह अधिक देने का अनुबन्ध करने को तैयार होने की स्थिति में, उसे दूसरे कुएँ पर कनेक्शन दिये जाने के लिये निर्देशित किया गया था तथा पहले कुएँ पर कनेक्शन की विद्युत दर में कोई परिवर्तन नहीं था।

कृषकों द्वारा यह ध्यान में लाया गया है कि 01.04.1993 से 31.10.1996 के मध्य चिन्हित हूए ऐसे सभी कनेक्शनों को नियमित नहीं किया गया है। समन्वय समिति की 37वीं बैठक दिनांक 16.02.2002 में हुई चर्चा के दौरान इस विषय पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 31.10.1996 तक के सभी मामले, जिनमें एक ही कृषि विद्युत कनेक्शन पर विद्युत भार की वृद्धि, तत्कालीन रा.रा. विद्युत मण्डल द्वारा, दूसरे कुएँ के लिये स्वीकृत की गई है, उन उपभोक्ताओं को दूसरे कुएँ के लिये कनेक्शन अलग से नियमित कराना होगा । जो भी उपभोक्ता सामान्य श्रेणी की मीटर/फ्लेट प्रणाली दर (जो भी लागू हो) से 17/– रुपये प्रति हॉर्स पॉवर प्रतिमाह बिलिगं माह दिसम्बर 97 से निरन्तर अधिक देने का अनुबन्ध करने को तैयार हो, उसका दूसरे कुएँ पर कनेक्शन नियमित कर दिया जावे । नियमतीकरण के उपरान्त पहले कुएँ पर कनेक्शन यदि फ्लेट दर पर है तो मीटर तुरन्त लगा दिया जाये, किन्तु विद्युत दर सामान्य श्रेणी की मीटर प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अलग–अलग कनेक्शन होने के बाद अगर उपभोक्ता उसी कुएँ में विद्युत भार बढ़ाना चाहे तो वह भी नियमानुसार स्वीकृत कर दिया जावे।

ऐसे मामलो को नियमित किये जाने के लिये उपभोक्ता से केवल नया आवेदन पत्र इस अनुबन्ध के साथ लिया जावे, कि, वह अपने दूसरे कुएँ पर सामान्य श्रेणी की मीटर/फ्लेट प्रणाली दर से 17/– प्रति हॉर्स पॉवर प्रतिमाह बिलिगं माह दिसम्बर 97 से निरन्तर अधिक दर से अपने कनेक्शन को नियमित कराना चाहता है । इसी आधार पर दूसरी पत्रावली बनाकर इसे कनेक्शन मीटर प्रणाली के अन्तर्गत दे दिया जावे ।

उपर्युक्त कनेक्शन को नियमित किये जाने के लिये अ
अभियंता (प व रा)को अधिकृत किया जाता है तथा सम्भागीय मुख्य अभियंता
सुनिश्चित करेगें कि ऐसे समस्त मामले दो माह में निपटा दिये जावे, और
आवश्यकता हो तो, स्पेशल कैम्प आयोजित कर मामलों का निपटारा किया जावे।

आज्ञा से

16.3

(ओ.पी. माथुर)
अधीक्षण अभियंता (वाणि
जो.वि.वि.नि.लि. जोधपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है।:-

1. सचिव, उर्जा विभाग, जयपुर ।
2. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (परि. एवं सधां-जोधपुर जोन/बीकानेर जोन), जोधपुर डिस्काम,जोधपुर /बीकानेर।
3. मुख्य लेखाधिकारी/वित्तिय सलाहकार, जोधपुर डिस्कॅाम जोधपुर ।
4. उपमुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॅाम जोधपुर।
5. उपमुख्य अभियन्ता (उर्जा), रीको जयपुर ।
6. अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि एवं सधां/पी.पी.एण्ड एम/पदार्थ प्रबन्ध/ एम एण्ड पी/बीएफएल)जोधपुरडिस्कॅाम,जोधपुर/पाली/बीकानेर/बाड़मेर/जैसलमेर/चुरु/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि. एवं सधां./एम. एम./अकेंक्षण) जोधपुर डिस्कॅाम, जोधपुर/बीकानेर।
8. निजी सचिव, माननीय उर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
9. उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता) जोधपुर डिस्कॅाम जोधपुर।
10. कम्पनी सचिव/उपनिदेषक (पी.) जोधपुर डिस्कॅाम जोधपुर।
11. अधिषाषी अभियन्ता (विधि/एम. आई. एस./आन्तरिक अंकेक्षण) जोधपुर डिस्कॅाम जोधपुर
12. अधिषाषी अभियंता (पवस/ग्राविनि/सतर्कता/एम.एण्ड पी.) जोधपुर डिस्काम, ---------- अपने अधीनस्थ सभी सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/सहायक राजस्व अधिकारी को वितरण हेतु अतिरिक्त प्रतिलिपियों सहित.
13. तकनीकी सहायक, माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेषक जोधपुर डिस्कॅाम/ अजमेर डिस्कॅाम/जयपुर डिस्कॅाम, जोधपुर/अजमेर/जयपुर को माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेषक के अवलोकनार्थ ।
14. जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॅाम, जोधपुर।
15. लेखाधिकारी (वाणिज्य), जोधपुर डिस्कॅाम, जोधपुर

(एन.एम. सिंघवी)
अधिषाषी अभियन्ता (वाणिज्य)
जो. वि. वि. नि. लि. ,जोधपुर

जोधपुर विद्युत वित

(वा

क्र./जो.वि.वि.नि.लि./अ.अ. (वाणि

विषय :– कृषि कनेक्शन के स्पेश

समन्वय समिति की दिनांक 04.03.2
निर्देश तृतीय संस्करण के पैरा 6 (ब) में
कनेक्शन की स्पेशल स्कीम में 11 केवी
(तार, इन्सूलेटर स्टे सैट की लागत) तथ
प्रति पोल की दर से चार्जेज लिये जावे। अ

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

प्रतिलिपि निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ

1. सचिव, उर्जा विभाग, जयपुर ।
2. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (परि. एवं सध
जोधपुर डिस्काम,जोधपुर /बीकानेर।
3. मुख्य लेखाधिकारी/वित्तिय सलाहकार,
4. उपमुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जोधपुर
5. उपमुख्य अभियन्ता (उर्जा), रीको जयपुर
6. अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला,
पी/बीएफएल)जोधपुरडिस्कॅाम,जोधपुर,
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि. एवं सधां./
8. निजी सचिव, माननीय उर्जा मंत्री, राज
9. उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता) जोधपु
10. कम्पनी सचिव/उपनिदेषक (पी.) जोध
11. अधिषाषी अभियन्ता (विधि/एम. आई.
12. अधिषाषी अभियंता (पवस/ग्राविनि)
अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/सहायक
13. तकनीकी सहायक, माननीय अध्यक्ष
डिस्कॅाम, जोधपुर/अजमेर/जयपुर को
14. जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॅाम,
15. लेखाधिकारी (वाणिज्य), जोधपुर डिस्कॅ